

09 Incidents : Govt Action against Jamaat-e-Islami (1975-2025)

यह रिपोर्ट वर्ष 1975 से 2025 तक भारत सरकार द्वारा आतंकी संगठन जमात-ए-इस्लामी (Jel) के खिलाफ लिए गए एक्शन की 09 प्रमुख घटनाओं पर आधारित है।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने 23 अगस्त 2025 को शिक्षा विभाग के आदेश पर जमात-ए-इस्लामी (Jel) और उसके शैक्षिक संगठन फलाह-ए-आम ट्रस्ट (FAT) से जुड़े 215 स्कूलों का प्रबंधन जिला मजिस्ट्रेटों और उपायुक्तों को सौंप दिया। सरकार का कहना था कि इन स्कूलों की पुरानी प्रबंधन समितियाँ अब मान्य नहीं हैं और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों में इनके बारे में नकारात्मक बातें आई थीं।

क्रमांक	दिनांक	विवरण	चित्र स्रोत
1)	22 अगस्त 2025	<p>आतंकी संगठन जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों पर सरकार का एक्शन</p> <p>विवरण - जम्मू-कश्मीर सरकार ने शिक्षा विभाग के आदेश पर जमात-ए-इस्लामी (Jel) और उसके शैक्षिक संगठन फलाह-ए-आम ट्रस्ट (FAT) से जुड़े 215 स्कूलों का प्रबंधन जिला मजिस्ट्रेटों और उपायुक्तों को सौंप दिया। सरकार का कहना था कि इन स्कूलों की पुरानी प्रबंधन समितियाँ अब मान्य नहीं हैं और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों में इनके बारे में नकारात्मक बातें आई थीं।</p> <p>छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासन ने फैसला लिया कि जब तक नई समितियाँ नहीं बन जातीं, तब तक जिला प्रशासन ही स्कूलों को चलाएगा।</p>	 <p>amarujala</p>
2)	5 अगस्त, 2025	<p>Jel को फंडिंग: NIA कोर्ट ने तीन आरोपियों और ट्रस्ट पर केस चलाने का आदेश दिया</p> <p>विवरण - जम्मू की विशेष NIA अदालत ने प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (Jel) जम्मू-कश्मीर से जुड़े तीन सहयोगियों मुश्ताक अहमद मीर, अमीर शमशी, अब्दुल हामिद गनई और एक ट्रस्ट के खिलाफ UAPA के तहत आरोप तय किए।</p> <p>NIA की जांच में पाया गया कि ये लोग Jel को वित्तीय सहयोग पहुँचाकर आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन दे रहे थे। अदालत ने माना कि आरोपियों ने प्रतिबंधित संगठन के लिए धन इकट्ठा कर उसे आतंकी नेटवर्क तक पहुँचाने का काम कर रहे थे।</p>	 <p>zeenews</p>
3)	15 फरवरी, 2025	<p>हंदवाड़ा में पुलिस की छापेमारी, जमात-ए-इस्लामी का प्रतिबंधित साहित्य बरामद</p> <p>विवरण - जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गहन तलाशी अभियान के तहत उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा उप-जिले में स्थित किताबों की कई दुकानों में छापामार कार्रवाई की और प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी से संबंधित साहित्य की कई प्रतियाँ बरामद करके जब्त कर लीं।</p> <p>इसके पूर्व श्रीनगर में भी जांच के दौरान 668 किताबें जब्त की गईं, जो प्रतिबंधित संगठन की विचारधारा को बढ़ावा दे रही थीं।</p>	 <p>patrika</p>

4)	26 नवंबर, 2022	<p>जम्मू-कश्मीर सरकार ने जमात-ए-इस्लामी की ₹90 करोड़ की संपत्तियाँ जब्त कीं</p> <p>विवरण - जम्मू-कश्मीर सरकार ने अनंतनाग ज़िले में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (Jel) की करीब ₹90 करोड़ मूल्य की 11 संपत्तियाँ जब्त की। यह कार्रवाई UAPA की धारा 8 और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत हुई, जिसमें रिहायशी मकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बाग, और व्यावसायिक स्थल शामिल थे।</p> <p>अधिकारियों ने इन संपत्तियों को "रेड एंट्री" दर्ज कर अवैध घोषित किया और उनका उपयोग रोक दिया। राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने बताया कि Jel से जुड़ी लगभग 200 संपत्तियाँ चिन्हित की गई हैं और यह कदम आतंकवाद व अलगाववाद को वित्तीय सहयोग से रोकने तथा जम्मू-कश्मीर में शांति बहाली के लिए उठाया गया है</p>	 <p>NDTV</p>
5)	10 अगस्त 2021	<p>एनआईए का बड़ा खुलासा: जमात-ए-इस्लामी ने चैरिटी के नाम पर जुटाए फंड से चलाया आतंकी नेटवर्क</p> <p>विवरण - एनआईए ने जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन जमात-ए-इस्लामी से जुड़े 56 ठिकानों पर छापे मारकर खुलासा किया कि संगठन के सदस्य चैरिटी के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे थे और इस धन का इस्तेमाल घाटी में आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। एजेंसी के मुताबिक, यह संगठन देश और विदेश से ज़कात, मोवदा और बैत-उल-माल के रूप में चंदा जुटाता था। इस पैसे को दिखावे में समाजसेवा और भलाई के कामों के लिए बताया जाता था।</p>	 <p>News 18</p>
6)	27 फरवरी, 2019	<p>आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला संगठन जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर 'अवैध संघ' घोषित</p> <p>विवरण - केन्द्र सरकार ने 'गैरकानूनी गतिविधियाँ अधिनियम' यानी UAPA के प्रावधानों का उपयोग करते हुए जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर को एक 'अवैध संघ' घोषित कर पाँच वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया। सरकार का कहना था कि यह संगठन अलगाववाद को बढ़ावा देता है, आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है और कश्मीर में शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है।</p> <p>प्रतिबंध लगने के बाद संगठन की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई, उसके दफ्तरों को सील किया गया और इसके कई नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। फ़रवरी 2024 में केन्द्र सरकार ने इस प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ा दिया था।</p>	 <p>newindianexpress</p>
7)	2013	<p>बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध, आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई</p> <p>विवरण- बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी (Jel) पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत साल 2013 में प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार ने इसे राष्ट्रव्यापी अशांति और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया। इस संगठन पर हिंदू विरोधी गतिविधियों और देश में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने के आरोप लगे थे। जमात-ए-इस्लामी का छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिबिर भी प्रतिबंधित हुआ।</p> <p>1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान जमात-ए-इस्लामी ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, जिसके कारण उसे युद्ध अपराध के आरोपों का सामना करना पड़ा।</p>	 <p>ndtv</p>

8)	10 दिसंबर, 1992	<p>देश की एकता में खतरा मानकर जमात-ए-इस्लामी हिंद पर प्रतिबंध लगाया गया</p> <p>विवरण- जमात-ए-इस्लामी हिंद पर केन्द्र सरकार ने 'गैरकानूनी गतिविधियाँ अधिनियम' (UAPA) के तहत प्रतिबंध लगाया। सरकार ने संगठन की गतिविधियाँ सांप्रदायिक तनाव और देश की एकता के लिए खतरा मानते हुए इस प्रतिबंध लगाया।</p> <p>1994 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को रद्द कर दिया क्योंकि सरकार पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई थी</p>	 <p>indiankanoon</p>
9)	1975	<p>देश की सुरक्षा हेतु इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को लगाया आपातकाल</p> <p>विवरण- इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद, सरकार ने जमात-ए-इस्लामी संगठन पर दो वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध को सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा और शांति के लिए खतरा माना।</p> <p>प्रतिबंधित होने के बाद जमात-ए-इस्लामी के कार्यालयों को सील कर दिया गया, उसके स्कूलों को बंद कर दिया गया और कई नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया।</p>	 <p>news18</p>